



2026: AHC: 24428-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **272/2026**

धर्मेन्द्र सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: महेंद्र सिंह, श्रीराम धर दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, जो कथित रूप से जनहित में है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी को यह निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है कि वे निर्धारित समय के भीतर दिनांक 18.12.2025 के आदेश का अनुपालन करें।
2. यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर, जिला कलेक्टर ने उप-जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की जांच करने और आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की थी।
3. आगे यह दलील दी गई है कि आदेश के बावजूद कुछ नहीं किया गया है और इसलिए, जिला कलेक्टर को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. वर्तमान याचिका दायर करना, जो अनिवार्य रूप से जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के निष्पादन की मांग करने की प्रकृति की है, स्वीकार्य नहीं है।
5. एक बार जब जिला कलेक्टर ने उप-जिला मजिस्ट्रेट से मामले को देखने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है, तो इसका अनुपालन सुनिश्चित करना जिला कलेक्टर का काम है। याचिका में कोई सार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 4 फरवरी, 2026

एन.डी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"